

संपादकीय

श्मशान में बंधक लाश और 2.1 लाख की बोली, यही है हमारा नया भारत ?

तमिलनाडु

के तेनकाशी जिले के संबवरवडाकरै करबे से आई खबर पढ़कर हाथ कांपते हैं और कलम में स्याही की जगह खून उतर आता है। 85 वर्षीय के. वी. रामराज की मृत्यु हो जाती है। घर में शव पड़ा है, बेटे-बहू रो रहे हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। आरोप है कि जाति पंचायत श्मशान के गेट पर खड़ी होकर कहती है कि पहले 2 लाख 10 हजार रुपये लाओ, फिर अंतिम संस्कार करने देंगे। आखिरकार सामाजिक बहिष्कार झेल रहा परिवार पैसे देता है, तब जाकर पिता को चिता जलती है। आजादी के 75 साल बाद भी यदि किसी शव के अंतिम संस्कार के लिए फिरौती देनी पड़े, तो यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है।

इस घटना में सबसे शर्मनाक सवाल पुलिस की भूमिका पर है। परिवार का आरोप है कि पुलिस के पास जाने पर उसे ज़ुर्माना देकर मामला निपटाने की सलाह दी गई। यदि ऐसा हुआ है, तो यह कानून के शासन की गंभीर विफलता है। जिस पुलिस का दायित्व कमजोर की रक्षा करना है, वही यदि जाति पंचायत के दबाव में काम करे, तो जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? ऐसे मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस की वर्दी का सम्मान तभी कायम रह सकता है, जब वह कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करे।

क्या जाति पंचायतें संविधान से बड़ी हो गई हैं? संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। फिर किस कानून ने कुछ लोगों को यह अधिकार दिया कि वे तय करें कि कौन किससे बात करेगा और किसका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? यदि परिवार को केवल विघ्नेश के परिवार से बातचीत करने के कारण बहिष्कार झेलना पड़ा, तो यह सामाजिक उत्पीड़न का गंभीर उदाहरण है। पंचायत के नाम पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता और गरिमा छीनने का अधिकार किसी को नहीं है।

हर साल 15 अगस्त को हम देशभक्ति के गीत गाते हैं और अंग्रेजों से मिली आजादी पर गर्व करते हैं, लेकिन गांवों में जातिगत भेदभाव कायम रहे, तो आजादी के अर्थ पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हम चंद्रशेखर तक पहुंच गए, लेकिन यदि किसी को अपने ही गांव के श्मशान तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह विकास के दावों पर तमाचा है। विश्वगुरु बनने का सपना तभी सार्थक होगा, जब हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले।

अब केवल सामाजिक समरसता के उपदेश पर्याप्त नहीं हैं। सामाजिक बहिष्कार, श्मशान, पानी, रास्ते और मंदिरों तक पहुंच रोकने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए प्रभावी कानून, निष्पक्ष जांच और दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 2016 में सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध कानून बनाया गया था। ऐसे प्रयासों से सीख लेकर देशभर में प्रभावी कानूनी संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को तय करना होगा कि इस देश में बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान चलेगा या जाति पंचायतों के मनमाने फरमान। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि ऐसी घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो अगली बार श्मशान के बाहर केवल किसी व्यक्ति का शव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विष्वसनीयता भी सवालियों के घेरे में होगी।

आजकल

कॉलेज से थाने तक सुरक्षा, युवा सुजन संवाद पुलिस अब लाठी से नहीं, संवाद से पहचानी जाएगी

मध्यप्रदेश पुलिस ने युवाओं को कानून की जानकारी देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। उच्च शिक्षा विभाग और पुलिस शाखा के सहयोग से महाविद्यालयों में जन सुरक्षा युवा सुजन संवाद अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुआ यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।

इसका उद्देश्य युवाओं को कानून, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। पहले पुलिस का मतलब थाने का थाना और वर्दी बद्री था। अब पुलिस को मित्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। यह सोच में बदलाव का संकेत है।

अभियान की खास बात इसका व्यावहारिक तरीका है। विद्यार्थियों को कार्यप्रणाली के साथ थानों का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे पुलिस की कार्यप्रणाली समझ सकें। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के घटनास्थल तक पहुंचने और कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। इससे युवाओं को आपात स्थिति में पुलिस सेवाओं का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

महाविद्यालयों में मानवाधिकार, महिला एवं बाल सुरक्षा, जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम, साइबर अपराध से बचाव, नशे से दूरी और यातायात सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी और समाज की सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बनाना है। अक्सर साइबर अपराध का शिकार होने के बाद भी युवा शर्म या डर के कारण पुलिस के पास नहीं जाते। ऐसे में पुलिस का सीधे संवाद करना भरोसा कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हालाँकि, चुनौती यह है कि अभियान केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए। युवाओं की भाषा में संवाद और नियमित जागरूकता जरूरी है। इसे 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रखना चाहिए। यदि यह पहल ईमानदारी से आगे बढ़ी, तो युवा पुलिस से डरने के बजाय मदद के लिए उसके पास आएंगे। यही जन सुरक्षा का वास्तविक अर्थ है।

84 महादेव दर्शन यात्रा

ब्रह्महत्या के पाप से चांडाल योनि तक, फिर कैसे बना वही जीव राजा विश्वेश ?

डॉ. नवीन आनंद जोशी

अवतिका

केवल देवदर्शन नहीं, बल्कि कर्म, प्रायश्चित और मुक्ति के गूढ़ रहस्यों से साक्षात्कार है। विश्वेश्वर महादेव की कथा इसी सत्य को उजागर करती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, किंतु पतन कभी अंतिम पड़ाव नहीं होता।

विदुरथ का अपराध और चांडाल योनि का दंड : पुराणों में वर्णित आख्यान के अनुसार, प्राचीन काल में विदर्भ के राजा विदुरथ आखेट के लिए वन में गए। वहाँ मृगचर्म धारण किए तपस्या में लीन एक ब्राह्मण को उन्होंने मृग समझकर बाण चला दिया। जब निकट पहुँचे, तब ज्ञात हुआ कि उनके हाथों एक उपस्थी का वध हो गया है। अनजाने में हुए इस ब्रह्महत्या के पाप का दुष्परिणाम उन्हें अनेक जन्मों तक भोगना पड़ा।यारहवीं योनि में वही जीव चांडाल के रूप में जन्मा। एक दिन चोरी के प्रयास में पकड़े जाने पर उसे दंडस्वरूप वृक्ष पर लटका दिया गया। मृत्यु सामने थी, जीवन की सारी संभावनाएँ समाप्त हो चुकी थीं। तभी उसकी दृष्टि शूलेश्वर महादेव के उत्तर दिशा में स्थित एक शिवलिंग

थाना प्रभारियों को मिला लिखित समन जारी करने का अधिकार

मध्यप्रदेश

पुलिस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी अपराध की जांच के दौरान पुलिस को कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु चाहिए, तो थाने का प्रभारी अधिकारी संबंधित व्यक्ति को लिखित समन भेजकर उसे जांच के लिए मांगवा सकता है। इसके लिए पहले पीएचक्यू की सीआईडी विंग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 94 का हवाला देते हुए थानों के अधिकारियों को इस नियम का पालन करने को कहा है। इससे पहले किसी भी मामले को छानबीन के लिए या तो थाने का स्ट्याफ जाकर सबूत इकट्ठा करता था या इसके लिए अदालत के आदेश लेने पड़ते थे। अब थाना प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति या अभियुक्त को समन जारी कर संबंधित सबूत पेश करने के लिए कह सके, बशर्ते वे संबंधित अपराध की जांच के लिए जरूरी हों।

यह बदलाव छोट्टा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पहले की व्यवस्था में थानों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात नहीं मिल पा रही थी। पुलिस को कई बार मामले से संबंधित दस्तावेजों की जरूरत होती थी, जैसे बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और संपत्ति के कागजात, लेकिन इसके लिए पुलिस को अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अब थाने का अधिकारी संबंधित व्यक्ति को लिखित समन भेजेगा, जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि किस थाने में कौन-सा अपराध दर्ज है, किन दस्तावेजों की जरूरत है और उन्हें कब तथा कहाँ पेश करना है। यदि व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहता, तो वह दस्तावेज डाक या अन्य माध्यमों से भी भेज सकता है।

मध्यप्रदेश में नए कानून को सख्ती से लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब हर छोट्टे-बड़े मामले में अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही अधीनस्थों को मौखिक आदेश दिए जाएंगे। सब कुछ लिखित में और निर्धारित प्रारूप में होगा।

मुख्यालय ने सभी थानों को भेजा प्रारूप : मुख्यालय ने समन के लिए बाकायदा प्रारूप तय करते हुए सभी थानों को भेज दिया है। इसमें थाने का नाम, अपराध क्रमांक, धाराएँ और जिन दस्तावेजों की जरूरत है, उनकी सूची भरकर संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

देश भर में महिलाओं पर बढ़ते अपराध रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के नए प्रयास पूरे देश में एक ही सवाल, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं ?

महिलाओं

पर बढ़ते अपराधों की खबर केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। यह दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई से लेकर छोटे कस्बों तक की हकीकत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल महिलाओं के खिलाफ चार लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इनमें घरेलू हिंसा, अपहरण, शील भंग, दुष्कर्म और साइबर अपराध प्रमुख हैं।

पहले अपराध सड़क पर दिखाई देते थे, अब वे मोबाइल फोन और घर की चारदीवारी के भीतर भी पहुंच गए हैं। इसीलिए पुलिस की रणनीति भी बदल रही है। अब केवल डंडे और गश्त से काम नहीं चलेगा, बल्कि संवाद, तकनीक और त्वरित न्याय की जरूरत है। पहले दहेज हत्या और अपहरण के मामले ज्यादा चर्चा में रहते थे, लेकिन अब साइबर अपराध, घरेलू प्रताड़ना और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ दुरूपवहार जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। फोटो मॉर्फिंग, ब्लैकमेलिंग और फर्जी प्रोफाइल के जरिए महिलाओं को परेशान किया जाता है। घर के भीतर मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना भी गंभीर समस्या है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2012 के बाद महिला सुरक्षा को लेकर देशभर में सोच बदली है। केंद्र सरकार ने निभैया फंड बनाया।

वन स्टॉप सेंटर यानी सखी केंद्रों के माध्यम से पीड़िताओं को पुलिस, कानूनी सहायता, चिकित्सा और परामर्श जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 भी सहायता के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और बड़े शहरों में सीसीटीवी, कंट्रोल रूम तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की पहल हुई है। पुलिस प्रशासन भी अब केवल एफआईआर दर्ज करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपराधों की रोकथाम पर जोर दे रहा है। महिला थाने, महिला हेल्प सेंटर, शक्ति टोम और पिंक पेट्रोलिंग इसी सोच के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति, महाराष्ट्र में दामिनी पथक और मध्यप्रदेश में शक्ति तथा शौर्या दल के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। कॉलेजों में संवाद और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए छात्राओं को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और

नईदुनिया

दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया होगी आसान, जांच में आएगी तेजी

थाना प्रभारियों को मिला लिखित समन जारी करने का अधिकार



भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों, प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों तथा एसटीएफ, साइबर सेल और अपराध अनुसंधान विभाग की इकाइयों को भेजे गए निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि नए कानूनों को सही तरीके से लागू करते हुए लंबित मामलों की तेजी से जांच की जाए। इससे पहले पुलिस जांच के दौरान किसी मामले से जुड़े दस्तावेज या सामान मंगवाने के लिए मौखिक आदेशों या अपने स्तर पर तैयार की गई पर्चियों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती थी और जरूरी सबूत समय पर नहीं मिल पाते थे।

नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी थाने के प्रभारी अधिकारी को जांच के सिलसिले में किसी व्यक्ति से दस्तावेज या जरूरी वस्तु मांगानी है, तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। अब तक पुलिस को मामले से संबंधित बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, संपत्ति के कागजात या अन्य जरूरी सबूत फिरयादी अथवा अभियुक्त से प्राप्त करने के लिए कई बार लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। दस्तावेज मंगवाने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय लग जाता था। नए प्रावधान के तहत

राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय

स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और बौद्धिक वर्ग को संबोधित किया। उनका संदेश स्पष्ट था कि राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय है। समाज से लेना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना ही स्वयंसेवक का उद्देश्य है। देश के विखंडनकारी प्रयासों के खिलाफ संघ के लगातार काम करने और संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन की चर्चा भी इस प्रवास के दौरान हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकलते संघ प्रमुख की तस्वीर भी प्रकाशित हुई। यह प्रवास संघ की कार्यपद्धति और भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भागवत ने कहा कि संघ और स्वयंसेवक एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं, उसी तरह संघ और स्वयंसेवक मिलकर समाज निर्माण का कार्य करते हैं। यह उपमा व्यक्ति और संगठन के संबंध को स्पष्ट करती है। व्यक्ति अकेले भी अच्छा हो सकता है, लेकिन संगठन से जुड़कर उसका योगदान व्यापक बन सकता है। संघ का यही मूल सिद्धांत है, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। आज के समय में हर कोई समाज से कुछ न कुछ लेने की होड़ में है। नौकरी, सम्मान और पद की आकांक्षा के बीच संघ का संदेश है कि लेना नहीं, देना सीखें। स्वयंसेवक शाखा में अपना समय और श्रम देता है तथा समाज के लिए कार्य करता है। जब स्वार्थ की राजनीति बढ़ रही हो, तब राष्ट्र के लिए योगदान देने का विचार विशेष महत्व रखता है। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने अपना जीवन समाज को संगठित करने के विचार को समर्पित किया।

भागवत ने देश के विखंडनकारी प्रयासों के खिलाफ संघ के लगातार काम करने की बात कही। जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर

राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय बिलासपुर में संघ प्रमुख का दो दिवसीय प्रवास और एक बड़े संदेश की गूंज

राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे और बौद्धिक वर्ग को संबोधित किया। उनका संदेश स्पष्ट था कि राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय है। समाज से लेना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना ही स्वयंसेवक का उद्देश्य है। देश के विखंडनकारी प्रयासों के खिलाफ संघ के लगातार काम करने और संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन की चर्चा भी इस प्रवास के दौरान हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकलते संघ प्रमुख की तस्वीर भी प्रकाशित हुई। यह प्रवास संघ की कार्यपद्धति और भविष्य की योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भागवत ने कहा कि संघ और स्वयंसेवक एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाते हैं, उसी तरह संघ और स्वयंसेवक मिलकर समाज निर्माण का कार्य करते हैं। यह उपमा व्यक्ति और संगठन के संबंध को स्पष्ट करती है। व्यक्ति अकेले भी अच्छा हो सकता है, लेकिन संगठन से जुड़कर उसका योगदान व्यापक बन सकता है। संघ का यही मूल सिद्धांत है, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण।

आज के समय में हर कोई समाज से कुछ न कुछ लेने की होड़ में है। नौकरी, सम्मान और पद की आकांक्षा के बीच संघ का संदेश है कि लेना नहीं, देना सीखें। स्वयंसेवक शाखा में अपना समय और श्रम देता है तथा समाज के लिए कार्य करता है। जब स्वार्थ की राजनीति बढ़ रही हो, तब राष्ट्र के लिए योगदान देने का विचार विशेष महत्व रखता है। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने अपना जीवन समाज को संगठित करने के विचार को समर्पित किया।

भागवत ने देश के विखंडनकारी प्रयासों के खिलाफ संघ के लगातार काम करने की बात कही। जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर

उसकी वास्तव में जरूरत हो और मांगे गए दस्तावेजों या वस्तुओं का अपराध की जांच से सीधा संबंध हो। बेवजह किसी को परेशान करने या असंबोधित निजी दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं होगी। हर समन का रिकॉर्ड थाने में रखा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। यदि कोई थाना प्रभारी इस अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी।

न्याय प्रणाली पर पड़ेगा सकारात्मक असर : अदालतों में पहले से ही लाखों मामले लंबित हैं। उनमें से कई मामले केवल इसलिए अटके रहते हैं, क्योंकि जांच में जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं मिल पाते। अब जब पुलिस सीधे दस्तावेज मंगवा सकेगी, तो जांच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने में तेजी आ सकती है। इससे अदालतों में सुनवाई की प्रक्रिया भी समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी। विशेषकर साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और संपत्ति से जुड़े मामलों में यह बदलाव बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इन मामलों में सबसे अधिक दस्तावेजों की जरूरत होती है।

मध्यप्रदेश पुलिस का यह कदम पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। अक्सर कहा जाता है कि भारतीय पुलिस के पास अधिकांश काम और प्रक्रियाएं अधिक हैं, जिसकी वजह से जांच में देरी होती है और अपराधियों को लाभ मिल जाता है। यह बदलाव इस स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बताता है कि यदि पुलिस को उचित कानूनी अधिकार दिए जाएँ और उसकी जवाबदेही तय की जाए, तो जांच में तेजी आ सकती है और आम आदमी को न्याय जल्दी मिल सकता है।

जरूरत है कि इस नए नियम का प्रचार-प्रसार आम लोगों तक किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को पता चले कि जांच के सिलसिले में जारी समन एक कानूनी दस्तावेज है और उसका पालन करना जरूरी है। साथ ही, पुलिस को भी प्रशिक्षण दिया जाए कि समन कैसे लिखना है, किस भाषा का उपयोग करना है और कानूनी मर्यादाओं का पालन कैसे करना है। कुल मिलाकर, यह बदलाव पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता और तेजी लाने के साथ अपराधों की जांच को अधिक पेशेवर बना सकता है। यही सुशासन की पहचान है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय

बिलासपुर में संघ प्रमुख का दो दिवसीय प्रवास और एक बड़े संदेश की गूंज



समाज को बांटने की कोशिशों के बीच सामाजिक एकता का महत्व बढ़ जाता है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन उसकी एकता बनाए रखना आवश्यक है। संघ की शाखाओं में सामूहिक खेल, गीत और गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन तथा संगठन की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

बिलासपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में संघ के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। राज्य में कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संभागीय स्तर पर इकाइयों के गठन और प्रत्येक संभाग में 22 पदाधिकारियों की कार्ययोजना पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाना और कया को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। आज का युवा नौकरी और करियर के दबाव में समाज के लिए समय निकालने में कंठिाई महसूस करता है। ऐसे में प्रतिदिन एक घंटा समाज के लिए देने का विचार महत्वपूर्ण है। स्वच्छता अभियान, रक्तदान और आपदा के समय सहायता जैसे कार्य सामाजिक योगदान के उदाहरण हैं।

डॉ. मोहन भागवत का बिलासपुर प्रवास केवल एक दौरा नहीं, बल्कि स्वयंसेवकों को उनके उद्देश्य की याद दिलाने का अवसर था। राष्ट्र निर्माण में योगदान ही स्वयंसेवक का ध्येय है। जब व्यक्ति यह सोचने लगेगा कि उसने समाज को क्या दिया, तभी सामूहिक विकास का मार्ग मजबूत होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव धर्म यात्रा जारी...